R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VIII ◆ अंक 7
जनवरी 2012

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

सहायक/अन्य कंपनियों में बैंकों का निवेश

रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऐसी कंपनियों में निवेश जो सहायक कंपनियां नहीं हैं और वित्तीय सेवा कंपनियां नहीं हैं पर विवेकपूर्ण मानदण्डजारी किएहैं। 12 दिसंबर 2011 को घोषित उक्त मानदण्ड निम्नानुसार हैं -

(i) गैर-वित्तीय सेवा कार्यकलापों के साथ जुड़ी कंपनियों में किसी बैंक का ईक्विटी निवेश निवेशिती कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत या बैंक की चुकता शेयर पूंजी एवं आरक्षित निधियों के 10 प्रतिशत, इनमें से जो कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सीमा के प्रयोजन से 'व्यापार के लिए धारित' के अंतर्गत धारित ईक्विटी निवेशों को भी हिसाब में लिया जाएगा। उपर्युक्त सीमाओं के भीतर किए गए निवेशों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं होगा भले ही वे निवेश 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी में हो या न हों।

(ii) किसी गैर-वित्तीय सेवा कंपनी में (क) किसी बैंक; (ख) ऐसी कंपनियां जो बैंक की सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां या संयुक्त उपक्रम या बैंक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनियां हों; तथा (ग) बैंक द्वारा नियंत्रित आस्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) द्वारा प्रबंधित म्युचूअल फंडों द्वारा किया गया निवेश कुल मिलाकर निवेशिती कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) ऐसी निवेशिती कंपनी में उसकी चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन 30 प्रतिशत से कम निवेश करने के लिए किसी बैंक के अनुरोध पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तभी विचार किया जाएगा यदि उक्त निवेशिती कंपनी ऐसे गैर-वित्तीय कार्य कलापों से जुड़ी हो जिनके लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) के अनुसार बैंकों को अनुमति दी गई है । यह बात पुन: दोहराई जाती है कि बैंकों को ऐसे कार्यकलाप करने के लिए सहायक कंपनियां स्थापित करने की अनुमति दी जाती है जो भारत में बैंकिंग के विस्तार के लिए फलप्रद तथा जनहित में उपयोगी और आवश्यक हैं।

(iv) किसी बैंक का सहायक कंपनियों तथा वित्तीय सेवा कार्यकलापों से जुड़ी अन्य कंपनियों के साथ-साथ गैर-वित्तीय सेवा कार्यकलापों से जुड़ी कंपनियों में कुल ईक्विटी निवेश उक्त बैंक की चुकता शेयर पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों जिन्हें 90 दिन से अधिक के लिए नहीं धारित किया गया है, पर 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी।

(v) किसी गैर-वित्तीय सेवा निवेशिती कंपनी में उसकी चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी धारिता की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन (बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार 30 प्रतिशत की सांविधिक सीमा के अधीन) के बिना की जा सकती है यदि अतिरिक्त धारिता पुनर्रचना/कार्पोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था (सीडीआर) के माध्यम से अथवा किसी कंपनी में बैंक द्वारा अपने ऋण/किए गए निवेशों पर ब्याज को बचाने के लिए अर्जित किया गया हो। ऐसे मामलों में निवेशिती कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी निवेश को उपर्युक्त 20 प्रतिशत सीमा से छूट प्राप्त होगी। तथापि, बैंकों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसे शेयरों के निपटान के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

बैंकों को गैर-वित्तीय सेवा कार्यकलाप करने वाली कंपनियों में निवेश करते समय इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।जहां निवेशों के मामले में उपर्युक्त नीतिगत मापदंडों का पालन नहीं किया जाता वहां बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) निवेशों को कम करके निर्धारित सीमाओं तक लाया जाता है तथा/अथवा मामले के अनुसार नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को हटा लिया जाता है अथवा (ख)भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

एनआरई जमाराशियों / एनआरओ खातों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण

अनिवासी जमाराशियां जुटाने में बैंकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए तथा बाजार की मौजूदा स्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए 16 दिसंबर 2012 से अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर ब्याज दरों को विनियंत्रित किया गया है। तदनुसार, बैंक अब अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशि खातों के अंतर्गत बचत जमाराशियों तथा एक वर्ष और उससे अधिक परिपक्वता अवधि की मीयादी जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों के अंतर्गत बचत जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, बैंकों द्वारा एनआरई तथा एनआरओ जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरें उन ब्याज दरों से अधिक नहीं हो सकतीं जो उनके द्वारा तुलनीय घरेलू रुपया जमाराशियों पर दी जाती हैं।

बैंकों को ऐसी जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करते समय बोर्ड/आस्ति प्रबंधन समिति (यदि बोर्ड द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए। किसी समय विशेष पर सभी बैंकों द्वारा अपनी सभी शाखाओं पर एक समान दरें दी जानी चाहिए।संशोधित जमाराशि दरें केवल नई जमाराशियों तथा परिपक्व होने वाली जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होंगी।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
सहायक/अन्य कंपनियों में बैंकों का निवेश	1
एनआरई जमाराशियों / एनआरओ खातों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण	
वित्तीय संगठनों में बैंकों का निवेश	2
सीमांत स्थायी सुविधा - योजना	2
डेरी खण्ड के अंतर्गत ऋण को कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त मानना	2
राहत/बचत बांड निवेशकों को क्षतिपूर्ति	2
भुगतान प्रणाली	
एनईएफटी - विलंब से किए गए जमा/धन-वापसी के लिए दंड स्वरूप ब्याज	2
भारत में मोबाईल बैंकिंग लेनदेन	2
फेमा	
जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन	3
बाह्य वाणिज्यिक उधार	3
सूचना	
पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को क्षतिपूर्ति	3
बासेल III पूँजी विनियमन पर प्रारूप दिशानिर्देश	4
वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति की तिसरी तिमाही समीक्षा	**4**

वित्तीय संगठनों में बैंकों का निवेश

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वित्तीय संगठनों की चुकता पूंजी में बैंकों के निवेश पर, सीएमई मानदंडों से छूट मिलने के बाद भी, 125 प्रतिशत का जोखिम भार या काउंटरपार्टी की बाह्य रेटिंग (अथवा उसके अभाव) के कारण आवश्यक जोखिम भार, इनमें जो भी उच्चतर हो, लागू होगा।

तदनुसार, सीएमई मानदंडों से छूट प्राप्त निवेश सहित बैंकिंग बही में बैंकों के पूंजी बाजार निवेश पर 125 प्रतिशत जोखिम भार (अर्थात् सकल ईक्विटी पोजीशन पर 11.25 प्रतिशत का पूंजी प्रभार) अथवा काउंटरपार्टी की बाह्य रेटिंग (अथवा उसके अभाव) के कारण आवश्यक जोखिम भार, इनमें जो भी उच्चतर हो, लागू होगा। तथापि, यदि इस प्रकार के निवेश ट्रेडिंग बही में हों, तो उन पर 20.25 प्रतिशत या उससे उच्चतर पूंजी प्रभार (अर्थात् विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए 11.25 प्रतिशत का पूंजी प्रभार अथवा काउंटरपार्टी की बाह्य रेटिंग (या उसके अभाव) के कारण आवश्यक जोखिम भार, इनमें जो भी उच्चतर हो, तथा सकल ईक्विटी पोजीशन के 9 प्रतिशत पर सामान्य बाजार जोखिम) लागू होगा।

उक्त अनुदेश 1 जनवरी 2012 से लागू होंगे।

सीमांत स्थायी सुविधा - योजना

बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) धारिता से अधिक की राशि के बदले सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत ओवर-नाईट आधार पर रिज़र्व बैंक से निधियाँ प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त वे निर्धारित एसएलआर से कम, दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में बकाया संबंधित निवल माँग और देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक ओवर-नाईट आधार पर भी निधियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यदि, बैंकों की एसएलआर धारिता सांविधक अपेक्षा से कम हो जाती है तो उन्हें इस सुविधा के उपयोग से उत्पन्न एसएलआर अनुपालन में चूक के लिए किसी विशिष्ट छूट की माँग नहीं करेंगे।

डेरी खण्ड के अंतर्गत ऋण को कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त मानना

चूंकि डेरी खण्ड (प्राप्ति, भंडारण, प्रसंस्करण, संग्रहण, परिवहन आदि सहित) के अंतर्गत ऋण मुख्यतः छोटे और सीमांत किसानों तथा सूक्ष्म इकाइयों को लाभ पहुँचाता है, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कार्यकलापों को जो डेरी कारोबार के विकास में योगदान देते हो, उसे प्रदान बैंक ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कृषि हेतु अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में माना जाए। तथापि, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने हेतु उचित ध्यान दें कि अंतिम लाभार्थी वे किसान हैं जो डेरी उद्योग में कार्यरत है और जो ऐसे निवेशों से लाभान्वित होंगे।

राहत/बचत बांड निवेशकों को क्षतिपूर्ति

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि चूँकि बचत बैंक खातों पर ब्याज दर को अब नियंत्रण मुक्त (डी-रेग्युलेट) कर दिया गया है, राहत/बचत बांड निवेशकों को, ब्याज वारंट/निवेश की परिपक्वता राशि, आदि के देरी से जमा/प्राप्ति के कारण हुए वित्तीय घाटे के लिए संबंधित राशि पर क्षतिपूर्ति का भुगतान, अपनी बचत बैंक ब्याज दर (रु. 1 लाख तक एवं रु.1 लाख से अधिक) पर बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए।

भुगतान प्रणाली

एनईएफटी - विलंब से किए गए जमा/धन-वापसी के लिए दंड स्वरूप ब्याज

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पुनः कहा है कि उन्हें ग्राहकों से दावे प्राप्त होने तक रूके बिना ग्राहकों को निर्धारित दर पर दण्ड स्वरूप ब्याज के भुगतान के वर्तमान अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों को प्रभावित ग्राहकों को मौजूदा भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा रिपो दर तथा विलंब की अवधि/धन-वापसी की तारीख तक 2 प्रतिशत दण्ड स्वरूप ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्ड के समक्ष अपनी अगली बैठक में दण्ड स्वरूप ब्याज की भुगतान की गई राशि के आँकड़े तथा उसकी स्पष्टीकरण टिप्पणी और ऐसे प्रसंगों को कम करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई रखें। बोर्ड की टिप्पणी की एक प्रति तथा इस मामले में बोर्ड का संकल्प बोर्ड की बैठक के बाद तुरंत रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इसके अलावा, एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के तहत बैंकों को एनईएफटी लेनदेनों से संबंधित ग्राहक प्रश्नों/शिकायतों को निपटाने के लिए समर्पित ग्राहक सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना करने की आवश्यकता है। यदि कोई परिवर्तन है तो तुरंत रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी केंद्रीय सूची को अद्यतन करने के लिए राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष, नरीमन पांईट को सूचित करना चाहिए। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक सुविधा केंद्रों को किए गए कॉल/भेजे गए ई-मेलों का शीघ्र उत्तर दिया जाता है और इस कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

भारत में मोबाईल बैंकिंग लेनदेन

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि मोबाईल बैंकिंग लेनदेन के लिए वस्तुओं/सेवाओं की खरीद सहित निधियों के अंतरण और लेनदेन दोनों के लिए प्रति ग्राहक प्रति दिन 50,000 रुपये की उच्चतम सीमा को अब हटा दिया गया है। तथापि, बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपनी जोखिम अवधारणा पर आधारित प्रति लेनदेन सीमाएं लागू कर सकते हैं।

फेमा

जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन

विदेशी मुद्रा बाज़ार की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अगली समीक्षा करने तक 15 दिसंबर 2011 से निम्नलिखित उपाय लागू किये गए हैं -

i. वायदा संविदाएं जिनमें मुद्राओं में से एक मुद्रा रुपया है, जिसे निवासियों ने चालू खाते के लेनदेनों को हेज करने के लिए बुक किया है, भले ही उनकी अवधि कितनी भी क्यों न हो, और पूंजीगत खाते को हेज करने के लिए, जो एक वर्ष में देय हों, को रद्द करने और फिर से बुक करने की अनुमति दी गई थी।अब इस सुविधा को वापस ले लिया गया है। निवासियों द्वारा बुक की गई वायदा संविदाएं, अंतर्निहित एक्सपोज़र के स्वरूप तथा अवधि पर ध्यान दिए बिना एक बार रद्द किए जाने पर फिर से बुक नहीं की जा सकती हैं।

ii. आयातकों के लिए, विगत निष्पादन सुविधा विगत तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के दौरान वास्तविक आयात/निर्यात पण्यावर्त (टर्नओवर) या विगत वर्ष के वास्तविक आयात/निर्यात पण्यावर्त (टर्नओवर), में से जो भी उच्चतर हो, के औसत के 25 प्रतिशत तक की गयी है । जिन आयातकों ने संशोधित/ कम की गयी सीमा से अधिक सुविधा का उपयोग पहले ही कर लिया है उन्हें इस सुविधा के तहत और बुकिंग की अनुमति न दी जाए।अब से निर्यातकों और आयातकों दोनों द्वारा इस सुविधा के तहत बुक की गयी सभी वायदा संविदाएं पूर्णतः सुपुर्दगी-योग्य आधार पर होंगी। रद्द किये जाने के मामले में, विदेशी मुद्रागत लाभ, यदि कोई हुआ हो, ग्राहक को न दिया जाए।

iii. ग्राहकों की ओर से प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा सभी कैश/टॉम/स्पॉट लेनदेन वास्तविक विप्रेषण / सुपुर्दगी के आधार पर किये जाएंगे तथा रद्द नहीं किये जा सकते हैं/नकद में भुगतान नहीं किया जा सकता है।

iv. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईएस) द्वारा बुक किए गए वायदा संविदाएं एक बार रद्द की गयी संविदाएं पुनः बुक नहीं की जा सकती हैं। तथापि, वायदा संविदाएं परिपक्वता तारीख को अथवा उसके पहले रोलओवर की जा सकती हैं।

v. प्राधिकृत व्यापारियों की नेट ओवरनाइट ओपन पोज़िशन लिमिट (एनओओपीएल) सभी के लिए घटायी जाएगी। अलग-अलग बैंकों के संबंध में संशोधित सीमाएं प्राधिकृत व्यापारियों को अलग से सूचित की जा रही हैं।प्राधिकृत व्यापारियों की इंट्रा-डे ओपन पोज़िशन/डेलाइट लिमिट रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित मौजूदा एनओओपीएल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति

माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की खास आवश्यकताओं पर विचार करते हुए भारत सरकार के परामर्श से मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को अनुमत अंतिम उपयोग के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 मिलियन अमरीकी डालर तक या उसके समतुल्य बाह्य वाणिज्यिक उधार 'स्वचालित मार्ग' से लेने की अनुमति दी जाए। विस्तृत दिशानिर्देश नीचे दिए हैं:

पात्र उधारकर्ता

माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में लगी निम्नलिखित माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं (कंपनियों) को बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र उधारकर्ता माना जाएगा:-

- समितियाँ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियाँ);
- भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियाँ);
- परंपरागत राज्य स्तरीय सहकारिता अधिनियमों, राष्ट्रीय स्तर के बहु-राज्य सहकारिता विधान या नए राज्य स्तरीय परस्पर सहायता सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियाँ), जो सहकारी बैंक नहीं हैं;
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के रूप में वर्गीकृत हैं तथा 2 दिसंबर 2011 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में विनिर्दिष्ट मानदण्डों का अनुपालन करती हैं; और
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत वे कंपनियाँ जो माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में लगी हैं।

उधार संबंध / सही तथा उचित स्थिति (स्टेटस)

इसके अलावा समितियों, न्यासों और सहकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत और माइक्रो फाइनेंस के कारोबार में लगी माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं (कंपनियों) के -

- विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ कम से कम 3 वर्षों से संतोषजनक संबंध हों; और
- उधार लेने वाली संस्था (कंपनी) के प्रबंधन बोर्ड/समिति की "सही और उचित" स्थिति के बाबत, समुचित सावधानी बरतने के तहत, नामित प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक से प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

मान्यता प्राप्त उधारदाता

बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियों को बैंकिंग चैनल के मार्फत प्राप्त किया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं (कंपनियों) को बहुपक्षीय संस्थाओं यथा आयएफसी, एडीबी, आदि/रीजनल फाइनेंसियल संस्थाओं/अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/विदेशी ईक्विटी धारकों और समुद्रपारीय संगठनों से बाह्य वाणिज्यि उधार लेने के लिए अनुमति होगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियों, और जो माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में लगी हैं, को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, निर्यात ऋण एजेंसियों, विदेशी ईक्विटी धारकों, समुद्रपारीय संगठनों और व्यक्तियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति होगी।

अन्य माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं (कंपनियों) को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, निर्यात ऋण एजेंसियों, समुद्रपारीय संगठनों और व्यक्तियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति होगी।

निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने वाले, समुद्रपारीय संगठन और व्यक्ति, बाह्य वाणिज्यिक उधार दे सकते हैं:

- बाह्य वाणिज्यिक उधार देने की योजना वाले (देने के इच्छुक) समुद्रपारीय संगठनों को अपने बारे में ऐसे समुद्रपारीय (ओवरसीज़) बैंक से, समुचित सावधानी बरतने के बाबत, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो अपने देश में विनियामक (रेगुलेटर) द्वारा विनियमित हो और नामित प्राधिकृत व्यापारियों के लिए लागू वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) के दिशानिर्देशों का पालन करता हो। समुचित सावधानी बरतने के बाबत, प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र में, यह उल्लेख हो कि (i) उधारदाता संस्था (ऐंटिटी) प्रमाणपत्रदाता बैंक में न्यूनतम विगत दो वर्षों से खाता रखे है, (ii) उधारदाता संस्था (ऐंटिटी) का गठन स्थानीय विधि के अधीन हुआ है और बिजनेस/स्थानीय समुदाय द्वारा उसे अच्छी प्रतिष्ठा वाली संस्था माना जाता है और (iii) उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित नहीं है।
- उधार देने वाले व्यक्ति को ऐसे समुद्रपारीय (ओवरसीज़) बैंक से, समुचित सावधानी बरतने के बाबत, अपने बारे में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उधार देने वाले व्यक्ति का उसके पास न्यूनतम विगत दो वर्षों से खाता है। इसके अलावा खाते के संबंध में लेखापरीक्षित विवरण और आयकर विवरणी जैसे अन्य साक्ष्य/दस्तावेज भी समुद्रपारीय उधारदाता प्रस्तुत कर सकता है जिसे समुद्रपारीय बैंक द्वारा प्रमाणीकृत और अग्रेसित किया गया हो। जिन देशों के बैंकों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे "अपने ग्राहक को जानें" से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करें, ऐसे देशों के उधार देने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार दिए जाने की अनुमति नहीं होगी।

अनुमत अंतिम उपयोग:

नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह अवश्य सुनिश्चित करे कि बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग स्वयं सहायता समूह या माइक्रो क्रेडिट या क्षमता के निर्माण सहित सच्ची माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों के लिए की जाए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार की राशि:

प्रणालीगत जोखिम को न्यूनतम स्तर पर रखना सुनिश्चित करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की उच्चतम सीमा 10 मिलियन अमरीकी डालर रखी गई है।

यह निर्णय भी लिया गया है कि माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में लगे गैर सरकारी संगठन प्रति वित्तीय वर्ष में 5 मिलियन अमरीकी डालर की मौजूदा सीमा के स्थान पर 10 मिलियन अमरीकी डालर या उसके समतुल्य बाह्य वाणिज्यिक उधार 'स्वचालित मार्ग' के तहत ले सकते हैं।

स्वचालित मार्ग के अंतर्गत औसत परिपक्वता

स्वचालित मार्ग के तहत पात्र उधारकर्ताओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा 23 सितंबर 2011 को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता 750 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य राशि तक बढ़ायी गयी थी । सीमा में वृद्धि के परिणामस्वरूप, स्वचालित मार्ग के तहत संशोधित औसत परिपक्वता अवधि संबंधी दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :-

ए) एक वित्तीय वर्ष में तीन वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार; और

बी) पांच वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक और 750 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार ।

तदनुसार, 4 दिसंबर 2006 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र के जरिये विनिर्दिष्ट औसत परिपक्वता अवधि, पूर्वभुगतान और काल/पुट आप्शन्स (250 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त राशि के लिए) की अपेक्षा हटा दी गयी है ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वचालित मार्ग के तहत पात्र उधारकर्ता अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य राशि तक के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) जारी कर सकते हैं । इसी प्रकार, विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र अर्थात होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर कंपनियां किसी वित्तीय वर्ष में अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य राशि तक के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) जारी कर सकते हैं बशर्ते बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग भूमि के अधिग्रहण के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।

सूचना

पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को क्षतिपूर्ति

रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2010 में अपनी वेबसाइट पर जनता के अभिमत के लिए पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ जोखिम लेने वाले अन्य स्टाफ तथा निजी क्षेत्र एवं स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों का नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रारूप दिशानिर्देश प्रदर्शित किया था। प्रारूप दिशानिर्देशों पर अनेक अभिमत/ सुझाव प्राप्त हुए और 2010-11 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में यह प्रस्तावित किया गया कि दिसंबर 2010 के अंत तक अंतिम दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे। इसी बीच अक्तूबर 2010 में बीसीबीएस ने पारिश्रमिक में जोखिम और कार्य निष्पादन की समरूपता के लिए क्रियाविधियां शीर्षक एक परामर्शी पेपर जनता के अभिमत के लिए प्रकाशित किया। अत: क्षतिपूर्ति नीति पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन 2012-13 तक आस्थगित किया गया और बैंकों को 23 फरवरी 2011 को एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया गया कि वे बीसीबीएस के परामर्शी पेपर को देखें और आरंभिक तैयारी करें।

प्रत्येक महीने के कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चैनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

इसके बाद बीसीबीएस ने मई 2011 में पारिश्रमिक में जोखिम और कार्य निष्पादन की समरूपता के लिए क्रियाविधियां पर अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की।

जुलाई 2011 में बीसीबीएस ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के परामर्श से पारिश्रमिक के लिए पिलर 3 की प्रकटीकरण अपेक्षाएं भी प्रकाशित की हैं।

इन दस्तावेजों के प्रावधानों तथा प्रारूप दिशानिर्देशों पर प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा कार्यान्वयन के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है। ये दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 13 जनवरी 2012 को डाले गए थे। क्षतिपूर्ति के संबंध में रिज़र्व बैंक के ये दिशानिर्देश पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हैं।

पहले की तरह ही, निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को पारिश्रमिक देने के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त करें । अनुमोदन प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ यह मूल्यांकन किया जाएगा कि क्षतिपूर्ति नीति और प्रथाएं एफएसबी सिद्धांतों के अनुरूप हैं या नहीं।

बासेल III पूँजी विनियमन पर प्रारूप दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2011 को अपनी वेबसाइट पर भारत में बासेल III पूँजी विनियमन को लागू करने के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों को दर्शाने वाला प्रारूप जारी किया। उक्त दिशानिर्देश दिसंबर 2010 में जारी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के "बासेल III: बैंकों और बैंकिंग प्रणालियों को अधिक लचीला बनाने के लिए एक वैश्विक विनियामक ढाँचा" नामक व्यापक सुधार पैकेज के अनुपालन में जारी किए गए हैं। प्रारूप दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार है:

न्यूनतम पूँजी अपेक्षाएँ

सामान्य ईक्विटी टियर (सीइटी 1) पूँजी को जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का कम-से-कम 5.5 प्रतिशत होना चाहिए;

- टियर I पूंजी को जोखिम भारित आस्तियों का कम-से-कम 7 प्रतिशत होना चाहिए; और
- कुल पूँजी को जोखिम भारित आस्तियों का कम-से-कम 9 प्रतिशत होना चाहिए।

पूँजी संरक्षण बफर

- सामान्य ईक्विटी के रूप में पूँजी संरक्षण बफर को जोखिम भारित आस्तियों का 2.5 प्रतिशत होना चाहिए।

अंतरण व्यवस्थाएं

- यह प्रस्तावित है कि न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं और सामान्य ईक्विटी से कटौती को लागू करने की अवधि 1 जनवरी 2013 से शुरू होगी और 31 मार्च 2017 तक पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी।
- पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षाओं को 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2017 के बीच लागू करने का प्रस्ताव है।
- ऊपर निर्दिष्ट कार्यान्वयन को लागू करने का समय इन दिशानिर्देशों पर प्राप्त प्रतिसूचना को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।
- विनियामक पूँजी लिखतों के रूप जो लिखत अब अर्हक नहीं है को चरणबद्ध रूप से 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2022 के दौरान हटा दिया जाएगा।

जोखिम कवर को बढ़ाना

काउंटरों पर डेरिवेटिवज़ के लिए मौजूदा एक्सपोज़र पद्धति के अंतर्गत काउंटर पार्टी चूक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार के अलावा बैंकों को अतिरिक्त ऋण मूल्य समायोजन (सीवीए) जोखिम पूँजी प्रभार की गणना करनी होगी।

लिवरेज़ अनुपात

लिवरेज़ अनुपात के लिए समकक्ष दौर 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 तक होगा जिसके दौरान बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 5 प्रतिशत का न्यूनतम टियर I लिवरेज़ अनुपात प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बासेल समिति के अंतिम प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए लिवरेज़ अनुपात अपेक्षा को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा।

वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति की तिसरी तिमाही समीक्षा

डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2012 को प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति की तिसरी तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की।

मुख्य-मुख्य बातें:

अनुमान

- वर्ष 2011-12 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के बेसलाइन अनुमान में कमी का संशोधन करते हुए इसे 7.6 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत किया गया।
- मार्च 2012 के लिए थोक मूल्य सूचकांक के बेसलाइन अनुमान को 7.0 प्रतिशत बनाए रखा गया है।
- वर्ष 2011-12 के लिए एम3 वृद्धि अनुमान 15.5 प्रतिशत बनाए रखा गया है।
- गैर-खाद्य ऋण वृद्धि घटाकर 16.0 प्रतिशत रखी गई है।

रूझान

- ऐसा ब्याज दर परिवेश बनाए रखा जाए जो मुद्रास्फीति को रोके और मुद्रास्फीति संभावनाओं को नियंत्रण में रखे;
- यह सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि का प्रबंधन करना कि यह प्रभावी मौद्रिक अंतरण के अनुरूप नियंत्रित घाटे में बनी रहे।
- वृद्धि के प्रति बढ़ती हुई नकारात्मक जोखिमों पर कार्रवाई की जाए।

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 6.0 प्रतिशत बनाए रखी गई है।
- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 28 जनवरी 2012 से शुरु होनेवाले पखवाड़े से 50 आधार बिन्दुओं की कमी करते हुए उसे उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 6.0 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर को 8.5 प्रतिशत रखा गया है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर से 100 आधार अंक अधिक के अंतर पर निर्धारित प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 7.5 प्रतिशत रखी गई है।
- रिपो दर से 100 आधार अंक अधिक के अंतर पर निर्धारित सीमांत स्थायी सुविधा दर (एमएसएफ) 9.5 प्रतिशत रखी गई है।

अपेक्षित परिणाम

मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और मार्गदर्शन से यह अपेक्षित है कि:

- चलनिधि स्थितियाँ आसान बनें।
- वृद्धि के प्रति नकारात्मक जोखिमों में कमी हो।
- मुद्रास्फीति को कम और स्थायी बनाने की विश्वसनीय प्रतिबद्धता के आधार पर मध्यावधि मुद्रास्फीति संभावनाएं नियंत्रित बनी रहें।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।